कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।
E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक- /13सी0 दिनांक 16-08-2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया–गुड़ौली से दौला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.1925 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/33229/2018)

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/07/2023/एफ.सी./1091 दिनांक 21–11–2023 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत हैः–

क्र. स.	शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	प्रस्ताव विभाग द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–** (क) वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.385 सिविल सोयम भूमि ग्राम दौला में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। **(ख)** गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए. 1980 की Guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वनविभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) प्रत्यार्वित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस.एम.सी. कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीममेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	(क) प्रस्तावित स्थल के आस–पास क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा कर दी गई है। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों का मिश्रित प्लांटेशन किया जायेगा। (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया हैं (छाया प्रति संलग्न) (ग) शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त संख्या –3 (क) अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा की गई है। छाया प्रति संलग्न है।

5	**शुद्ध वर्तमान मूल्यः–** (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.1925 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विषेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेंगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न) प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव मे अनुसार 47 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त मान्य है।
7	गाईडलाईन्स में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविध नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोप प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानान्रित /जमा किए जाएगें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
10	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त मान्य है।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	शर्त मान्य है।
12	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।	शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के लिए लेआउट प्लान को नहीं बदला जायेगा।
15	वनभूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्ताक विभाग द्वारा वनभूमि में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथव वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

17	संबंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा, जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हों।	शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
19	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किस प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया जायेगा।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	मक डिस्पोजल का प्राविधान किया गया है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने कार्य किया जायेगा मलवें को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वनविभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त लागू है।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक 1036 /13सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
3. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ ।
5. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 अस्कोट को प्रेषित।
6. खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
24

E:\Amin\Latter Vanbhumi.doc

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय,देहरादून /
Regional Office, Dehradun

सत्यमेव जयते

प्रकृति: रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

सुभाष रोड, देहरादून-248001/25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 07 / 2023 / एफ.सी. / 1691 दिनांकः 21 / 11 / 2023

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ में कठपतिया–गुडौली से दौला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.1925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal no. FP/UK/ROAD/33229/2018)**

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या **1565/FP/UK/ ROAD/33229/2018** दिनांक 30.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन, के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.10.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार **जनपद– पिथौरागढ़ में कठपतिया–गुडौली से दौला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.1925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.385 सिविल सोयम भूमि ग्राम दौला में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**
   ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

LiFE Lifestyle for Environment

ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **1.1925** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार **47 वृक्षों** से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10. **नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।**

11. **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।**

12. **नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।**

13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

2/3 contd..

17. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीय,

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

1/18/24, 4:02 PM

UTR- SBINR52024021702943182

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-01-2024

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6133229017
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/07/2023/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askotePithoragarh
Amount(in Rs)	2706966/-

Amount In Words :Twenty-Seven Lakh Six Thousand Nine Hundred and Sixty-Six Rupees Only

17 FEB 2024

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896133229017 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांकः– 2777 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 05 – दिसम्बर, 2023।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया–गुडौली से दौला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.1925 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/33229/2018)

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/07/2023/एफ.सी./1091 दिनांक 21.11.2023।

उपरोक्त संदर्भित उत्तराखण्ड शासन के आदेश पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 04 व 05 के कम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा किये जाने योग्य कुल धनराशि
1	एन0पी0वी0	1.1925 हे0	1372410/– (ईको क्लास–VI) घनत्व 0.4	1636598.925 या 1636599.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण	2.385 हे0	4,48,791/–	1070366.535 या 1070367.00

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः– /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्रेषक,

तहसीलदार,
कनालीछीना।

सेवा में ,

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
अस्कोट, पिथौरागढ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 अस्कोट
पत्रांक 1029
फाईल नं0 13 C
दिनांक 31/07/2024

संख्या— 182 /वृक्षारोपण/2023 दिनांक 25.07.2024

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत कठपतियां गुडौली से दौला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.1925 है0 के बदले 2.385 है0 दुगुनी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम— दौला, पट्टी— गोवर्सा की 2.385 सिविल भूमि को वन विभाग के पत्र में हस्तान्तरण /नामान्तरण करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 796/13 सी दिनांक 02.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत कठपतियां गुडौली से दौला मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम— दौला, पट्टी—गोवर्सा के खाता संख्या 05 खेत न0 1943 मध्ये 2.385 है0 श्रेणी —9(3) ङ बंजर काबिल आबाद भूमि सिविल भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण /नामान्तरण करने के उपरान्त खसरा खतौनी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

राजस्व उपनिरीक्षक गोवर्सा द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 20.07.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का हस्तान्तरण /नामान्तरण ग्राम —दौला की गै. ज0 वि0 खतौनी में दर्ज कर उद्धरण खतौनी तैयार की गई है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक गोवर्सा की आख्या एवं उद्धरण खतौनी संलग्न कर सादर प्रेषित है।

भवदीय,

25/07/24
(देवांश प्रताप)
तहसीलदार,
कनालीछीना।

AE-II / अमीन

खतौनी नकल

ग्राम - दौला पट्टी - गोवर्सा तहसील - कनालीछीना, जिला - पिथौरागढ़

गैर जमींदारी विनाश खतौनी
श्रेणी - 9(3) ङ बंजर काबिल भूमि

खाता खतौनी सं.	खातेदार का नाम	फसली वर्ष	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हे० में)	विवरण
5	उत्तराखण्ड सरकार (बंजर काबिल आबाद)	1374	02	2.395	कार्यालय जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के आदेश स्थल संख्या -1134/ सात-14/ 2023-24 दिनांक मार्च 23, 2024 के अनुसार ग्राम - दौला - पट्टी - गोवर्सा तहसील - कनालीछीना के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता क्र 05 श्रेणी 9(3)5 बंजर काबिल आबाद के खेत नम्बर 1943 मध्ये रकवा 2.385 हेक्टेयर सिविल भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित / नामान्तरित की जाती है। (हस्ताक्षर) 16/4/024 रा. उ. नि. गोवर्सा
			04	6.351	
			05	0.454	
			07	0.606	
			लगातार	लगातार	
			1928	0.610	
			1929	0.025	
			1930	0.049	
			|	|	
			1941	0.019	
			1942	0.090	
			1943	3.280	
			1959	0.170	
			1961	0.074	
			|	|	
			04/2430	0.204	
			05/2432	0.115	
		योग	129	75.987	

महोदय, उद्धरण खतौनी तैयार की।

(हस्ताक्षर) 20/07/024
रा०उ०नि० क्षेत्र...गोवर्सा
तहसील...कनालीछीना